राजस्थान सरकार
न्याय विभाग

क्रमांकः प. 2(3) बैठक/न्याय/2016 जयपुर, दिनांक 02.02.2017

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/
   प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष

विषयः–लाईट्स सॉफ्टवेयर पर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक 17.01.2017 को माननीय मंत्री न्याय विभाग के कक्ष में लाईट्स सॉफ्टवेयर का प्रस्तुतिकरण (Presentation) व बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक के दौरान माननीय मंत्री न्याय द्वारा निम्न दो निर्देश दिए गए थे :–

- अतिरिक्त महाधिवक्ताओं से सम्बन्धित कार्य–मूल्यांकन रिपोर्ट लाईट्स सॉफ्टवेयर पर प्रदर्शित की जाये, जिसमें उन्हे आवंटित प्रकरण, न्यायालय में चल रहे प्रकरण व फैसल शुदा प्रकरणों का उल्लेख हो।

  उक्त निर्देशों की पालना में अतिरिक्त महाधिवक्ताओं से सम्बन्धित कार्य–मूल्यांकन रिपोर्ट को लाईट्स सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पर "AAG Performance" के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया हैं।

- सभी प्रशासनिक विभागों के कार्य–मूल्यांकन से सम्बन्धित रिपोर्ट लाईट्स सॉफ्टवेयर पर प्रदर्शित की जाये।

  विभागों का मूल्यांकन निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर बिन्दुवार महत्व (Weightage) देकर प्रदर्शित किया गया है :–

क्र. सं.	बिन्दु	महत्व (Weightage)
1	न्यायिक प्रकरणों का लाईट्स सॉफ्टवेयर के प्रारूप में शेष इन्द्राज/अद्यतन का प्रतिशत।	30%
2	जवाबदावा प्रस्तुत करने से शेष प्रकरणों का प्रतिशत।	20%
3	राज्य सरकार के खिलाफ निर्णित प्रकरणों में अपील करने से शेष प्रकरणों का प्रतिशत।	20%
4	राज्य सरकार के खिलाफ निर्णित प्रकरणों की पालना करने से शेष प्रकरणों का प्रतिशत।	15%
5	अवमानना प्रकरणों का प्रतिशत।	15%

मूल्यांकन रिपोर्ट को व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रदर्शित करने व कार्यभार की मात्रा को देखते हुये वास्तविक मूल्यांकन को दर्शाने हेतु जिन प्रशासनिक विभागों में लम्बित न्यायिक प्रकरणों की संख्या 2000 से अधिक है उसे (Major) समूह में एवं जिन प्रशासनिक विभागों में लम्बित न्यायिक प्रकरणों की संख्या 2000 अथवा 2000 से कम है उसको (Minor) समूह में अलग–अलग रिपोर्ट तैयार कर लाईट्स सॉफ्टवेयर पर प्रदर्शित की गई हैं, जिसे सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पर "Evaluation Report" एवं "Summary Report" में देखा जा सकता हैं।

उक्त वर्णन के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि उक्त दोनो मूल्यांकन रिपोर्ट की आवधिक (पाक्षिक / मासिक) समीक्षा कर अधीनस्थ संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को मूल्यांकन रिपोर्ट में विभाग की स्थिती (रैंक) में उन्नयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।

भवदीय

शासन संयुक्त सचिव

D:\SO\ P. 2(3) LITES Meeting & Minutes